प्रभात बनाम बक्षी मु.न. 55/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.12.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 22.1.25 को पेश हो।	
22.1.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 4.3.25 को पेश हो।	
4.3.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 2.4.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2.4.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 50.014 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 2.5.25 को पेश हो।	
2.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वकील अपीलांट को सुना गया। बाद बहस वकील रेस्पो. दिनांक 5.5.25 को पेश हो।	
5.5.25	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9.5.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
9.5.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट .... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद्र तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 55 / 2021

1 प्रभात दत्तक पुत्र रामु उर्फ रामदेव आयु 40 साल जाति मीणा निवासी दूधवालों का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बंशी पुत्र नारायण
2 नाथूराम पुत्र फूला
3 छीतरमल पुत्र फूला
4 लिछमण पुत्र मंगला
5 चौथू पुत्र मूलचन्द
6 बजरंगलाल पुत्र मूलचन्द
7 कोयली देवी पत्नी मूलचन्द
8 साकू देवी पुत्री मूलचन्द
9 माली देवी पुत्री मूलचन्द
10 माला पुत्र मूंगला
11 गुलझारी पुत्र रामधन
12 ताराचंद पुत्र ओंकारा
समस्त जाति मीणा निवासी दूधवालों का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
13 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पलसाना जरिये मैनेजर।
14 भूमिधारी तहसीलदार महोदय खण्डेला।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आरएएस
प्रार्थना पत्र बउनवानी बंशी आदि बनाम लिछमण आदि
अंतर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट मु.नं. 40/2015
दिनांकित 03.12.2020

उपस्थिति :

1. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणीधर सिंह काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

दिनांकः- 9/5/25

—निर्णय—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493 वाके ग्राम दूधवालों का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 20.10.2015 की तहसीलदार की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से ताईद कर रही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपने खेत खसरा नम्बर 43, 404 में से आता जाता है जो इस रास्ते की अपेक्षा अधिक दूरी पर है तथा नक्शे में कटानी रास्ता भी नहीं है। जिस रास्ते से इनका आवागमन है उस रास्ते की लम्बाई 144 मीटर है जो कि प्रचलित रास्ता है। इस प्रकार

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इसलिए जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो आम रास्ता प्राप्त करने का धारा 251 ए के तहत विधिक अधिकार नहीं है इसलिए पारित अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पुनः तहसीलदार खण्डेला से जांच रिपोर्ट मंगवायी गई थी जो दिनांक 06.02.2020 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा तैयार करके दी गई जिसमें प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 108 मीटर बनती है जबकि दिनांक 20.10.2015 की रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट के प्रचलित रास्ते की लम्बाई 144 मीटर है। कुल 36 मीटर लम्बाई ही अधिक है जो कोई विशेष मायने नहीं रखता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों से द्वेष भावना रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलान्ट के हक हिस्से में आयी भूमि पर अनाधिकृत रास्ता प्राप्त करना चाहता है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में सभी अप्रार्थीगण की तलबी अथवा जवाब के बारे में कहीं आदेशिका में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थीगण सख्या 5, 6, 8 व 10 की तलबी हेतु आदेश में उल्लेख भी नहीं किया गया है। तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपार्ट दिनांक 06.02.2020 में प्रस्तावित रास्ता में भूमि खसरा नम्बर 489 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे तीन मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा है जबकि उक्त खसरा नम्बर में सींवा जोड़ खसरा नम्बर 410 लगता हुआ है। कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा खसरा नम्बर 410 में से किस आधार पर रास्ता की मांग की जा रही है। अगर उक्त रास्ता कटान में रास्ता है तो इनके द्वारा भी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जावेगा। कानूनन उक्त खसरा नम्बर 410 में से भी रास्ता काटा जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस आधार पर भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया आवेदन अस्पष्ट होने के कारण पारित किया गया आदेश खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों का सही विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किये बिना ही मनमाने रूप से राज्य सरकार के निर्देशों को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के खेत में रास्ता मौजूद होने के बावजूद केवल मात्र इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल कारित की गई है कि उनके खेत में आवागमन हेतु रास्ता नहीं लगता है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रभात अप्रार्थी संख्या 9 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में दिनांक 28.09.2015 को अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से सुभाषचन्द शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार आईएलआर से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से धारा 251 ए का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति होने के पश्चात भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार तामीली प्रक्रिया पूर्ण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। आदेशिका के अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में सभी अप्रार्थीगण की तलबी अथवा जवाब के बारे में कहीं आदेशिका में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थीगण सख्या 5, 6, 8 व 10 की तलबी हेतु आदेश में उल्लेख भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में प्रार्थना पत्र के तथ्यों, तहसीलदार की रिपोर्ट के तथ्यों का धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के क्रम में लघुत्तम/आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में खसरा नम्बर का भी उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय स्पीकिग नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार तामीली प्रक्रिया पूर्ण कर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर